

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण

चेतन प्रकाश पुत्र ओमाराम जाति मेघवाल  
निवासी रमणीया तह. सीवाना जिला बालोतरा  
वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 53

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
10 <sup>01</sup> / 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बिसलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1432 रकबा 2.63 हैक्टर कुल लगान 13.15 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बिसलपुर एवं निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

खिगरी बमुकदमे इबादाई  
(ओ 20 सल 6, 7 जाबा दीगरी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बड़जलास श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादीगण  
सोहन प्रकाश पुत्र ओमाराम जाति मेघवाल  
निवासी रमणीया तह. सीवाना जिला बालोतरा  
उमैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/

वा. अ. धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनकिस्माल कतई सबल हमारे समक्ष पेरोकार सरकार भिनजानिब मुद्दई व \_\_\_\_\_ भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व खिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बिसलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1432 रकबा 2.63 हैक्टर के रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकॉर्ड में वर्तमान हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बिसलपुर एवं निरीक्षक भूअधु बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लदा नक्शा में सुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अन्तिम अंग रहेगा। वायग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अपभावित रहेगा।

डरब मेरे वसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/01/25 को जारी की गई।



3  
(दिनेश विश्वाई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

